न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 19/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/31

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.भूरसिंह पुत्र बलवन्तसिंह 2.भंवरसिंह पुत्र रावतसिंह 3.लखसिंह पुत्र बलवन्तसिंह 4.चैनसिंह पुत्र लखसिंह जाति राजपूत निवासी वेदरलाई तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		1.ऊकीदेवी पुत्री जमना 2.पोकरराम पुत्र भगवानाराम 3.चन्द्रप्रकाश पुत्र भगवानाराम 4.पदमाराम पुत्र भगवानाराम जाति भील निवासी कुड़ी 5.बधकी पत्नी मोहनलाल जाति भील निवासी सांभरा तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी 6.सवाईसिंह पुत्र रावतसिंह 7.तखतसिंह पुत्र रावतसिंह 8.अंतरकंवर पत्नी रावतसिंह 9.उम्मेदसिंह पुत्र अचलसिंह 10.श्रवणसिंह पुत्र अचलसिंह 11.जितेन्द्रसिह पुत्र अचलसिंह 12.कैलाशकंवर पत्नी अचलसिंह 13.दलपतसिंह पुत्र जालमसिंह 14.हरीसिंह पुत्र जालमसिंह 15.गीताकंवर पत्नी जालमसिंह जाति राजपूत निवासी कंवरली तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 16.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा वर्तमान तहसीलदार पाटोदी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 24/12/2024

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम वेदरलाई तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की मूल खसरा संख्या 184 से विभक्त होकर खसरा संख्या 290/184,292/184 व 312/184 कायम हुई। प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या 290/184,विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के खातेदारी खसरा संख्या 292/184 व विप्रार्थी संख्या 6 से 15 के खातेदारी खसरा संख्या 312/184 है। पक्षकारान के मौके पर कब्जा–काश्त मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम कायम हो रखी थी तथा पक्षकारान रिकॉर्ड मुताबिक ही मौके पर कायम है,लेकिन विवादित आराजी की तरमीम तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा मनमाफिक व बिना किसी न्यायालय आदेश के तरमीम बदल दी गई,जबकि प्रार्थीगण का पूर्व में कायम तरमीम अनुसार ही विवादित आराजी में कब्जा–काश्त चला आ रहा है,लेकिन गलत तरमीम के कारण विप्रार्थी आए दिन प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकिया दी जा रही है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की विदयमान तरमीम को निरस्त किया जाकर पूर्व में कायम नक्शा लटढा ट्रेस मुताबिक तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री जेठूलाल कुमावत द्वारा विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। अधिवक्ता श्री सवाईराम सियाग द्वारा विप्रार्थी संख्या 6 से 12 की ओर से वकालनामा पेश किया गया। शेष विप्रार्थी बावजूद नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं हुए। विप्रार्थी संख्या 2,3 व 6 से 12 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया तथा वक्त बहस भी उपस्थित नहीं हुए। इस कारण विप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम वेदरलाई तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की मूल खसरा संख्या 184 से विभक्त होकर खसरा संख्या 290/184,292/184 व 312/184 व अन्य कायम हुए। प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या 290/184,विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के खातेदारी खसरा संख्या 292/184 व विप्रार्थी संख्या 6 से 15 के खातेदारी खसरा संख्या 312/184 है। पक्षकारान के मौके पर कब्जा–काश्त मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम कायम हो रखी थी तथा पक्षकारान रिकॉर्ड मुताबिक ही मौके पर काश्त करते आ रहे है,लेकिन विवादित आराजी की तरमीम तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा मनमाफिक व बिना किसी न्यायालय आदेश के तरमीम बदल दी गई,जबकि प्रार्थीगण का पूर्व में कायम तरमीम अनुसार ही विवादित आराजी में कब्जा–काश्त चला आ रहा है,लेकिन गलत तरमीम के कारण पक्षकारान को अपूरणीय क्षति हो रही है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा विवादित आराजी की तरमीम पक्षकारान को बिना सूचित किए

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

व बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के उपरांत भी रद्दोबदल कर दी गई,जिसकी हल्का पटवारी को कोई वैधानिक अधिकारी प्राप्त नहीं था,लेकिन उसके उपरांत भी तरमीम मौका एवं रिकॉर्ड स्थिति के विपरीत लटढा नक्शा में कर दी गई,जो कि प्रार्थीगण के हितो के साथ भारी कुठराघात किया गया है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे और निवेदन किया कि विवादित आराजी की तरमीम मौका रिपोर्ट के मुताबिक दुरूस्त की जाती है,तो प्रार्थीगण को आपति नहीं है।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर गनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम वेदरलाई तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 290/184 प्रार्थीगण की खातेदारी व खसरा संख्या 292/184 से विभक्त होकर खसरा संख्या 558/292,560/292,562/292,559/292 व 561/292 विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी एवं खसरा संख्या 312/184 विप्रार्थी संख्या 6 से 15 की खातेदारी में अवस्थित है। विवादित आराजी का वर्तमान भू नक्शा एवं हल्का पटवारी सांभरा द्वारा जारी नक्शा प्रतिलिपि पी.35 क्रमांक 7081/21.6.2016 अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी की विदयमान तरमीम पूर्व तरमीम से भिन्न हो रखी है तथा नायब तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट दिनांक 12.8.2024 के अनुसार लटढा नक्शा में खसरा संख्या 290/184 की तरमीम में कांट छांट की हुई है। खसरा संख्या 290/184,312/184 व 292/184 की लाल स्याही से की हुए तरमीम सही थी,लेकिन बाद में खसरा संख्या 290/184 की तरमीम को कांट छांट कर बदला गया है। हल्का पटवारी सांभरा द्वारा दिनांक 21.6.2016 को पी.35 क्रमांक 7081 द्वारा ग्राम वेदरलाई के नक्शा लटढा से सत्य प्रतिलिपि खसरा संख्या 290/184 की जारी की हूई है,उसमें खसरा संख्या 290/184 त्रिभूज के आकार में दोनो माठ सड़क से मिलती हुई है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी की तरमीम बिना सक्षम आदेश के तत्कालीन राजस्वकर्मी द्वारा कांट छांट कर अशुद्व तरमीम कर दी गई थी,जो कि विधि में निहित प्रावधानों के विपरीत कृत्य किया गया था। इस प्रकार विवादित आराजी की तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है तथा नायब तहसीलदार पचपदरा द्वारा भी अपनी जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरूस्त किए जाने की अनुशंषा की गई है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम—वेदरलाई तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 290/184,292/184 व 312/184 भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर नायब

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट दिनांक 12.8.2024 में बिन्दु संख्या 03 में दर्शित नजरी नक्शा एवं पी.35 क्रमांक 7081/21.6.2016 नक्शा लटढा प्रतिलिपि मुताबिक तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते है। मौका रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24.12.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
24/12/2024